प्रेषक,

महानिदेशक मत्स्य
उत्तर प्रदेश।

सेवा में,

1. समस्त जिलाधिकारी, उ०प्र०।
2. समस्त मुख्य विकास अधिकारी, उ०प्र०।
3. समस्त मंडलीय उपनिदेशक मत्स्य, उ०प्र०।
4. समस्त सहायक निदेशक मत्स्य/ मुख्य कार्यकारी अधिकारी, मत्स्य पालक विकास अभिकरण, उ०प्र०।

पत्रांकः 185 /नि०शा०/पी०एम०एम०एस०वाई०/2024-25 दिनांकः 29 जनवरी 2025

विषयः प्रधानमंत्री मत्स्य सम्पदा योजनान्तर्गत वित्तीय वर्ष 2024-25 हेतु लाभार्थी चयन के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषय में जैसा कि आप अवगत ही होंगे कि भारत सरकार द्वारा मत्स्य उत्पादन एवं उत्पादकता को बढ़ाये जाने हेतु वित्तीय वर्ष 2020-21 से प्रधानमंत्री मत्स्य सम्पदा योजना क्रियान्वित है।

2- उक्त महत्वपूर्ण योजना के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2024-25 हेतु 23 परियोजनाओं (अनुलग्नक-01), जिस पर प्रमाणन हेतु निदेशालय के सम्बंधित प्रभारी सहायक निदेशक, उप निदेशक नियोजन एवं निदेशक के हस्ताक्षर हैं, के अंतर्गत लाभार्थी का चयन किया जाना है, जिसके लिए सर्वसम्बन्धित से आवेदन पत्र मांगते हुए अग्रिम कार्यवाही की जानी है।

3- प्रश्नगत योजना के क्रियान्वयन हेतु समय- समय पर दिशा-निर्देश जारी किये जाते रहे है, जिनकी प्रतियाँ आप सभी को पूर्व में प्रेषित की जा चुकी है। इसके अतिरिक्त इस सम्बन्ध में अद्यतन रूप से जारी शासनादेश संख्या 129/सत्रह-म-2025-17-1099/2021 दिनांक 23 जनवरी, 2025 (अनुलग्नक-02) की प्रति आप सभी को अनुपालानार्थ प्रेषित की जा रही है।

4- मा० मंत्री, मत्स्य, एवं प्रमुख सचिव मत्स्य उत्तर प्रदेश शासन द्वारा दिनांक 28-01-2025 को इस सम्बन्ध में आयोजित संगोष्ठी के माध्यम से घोषणा की गयी कि प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2024-25 में लाभार्थी चयन हेतु विभागीय पोर्टल पर दिनांक 01-02-25 से 15-02-25 तक ऑनलाइन आवेदन पत्र आमंत्रित किए जायेंगे।

5- उपरोक्त के आलोक में आप सभी से अनुरोध है कि आप कृपया अपने स्तर से व्यापक प्रचार प्रसार कराते हुए और इस हेतु निर्धारित दिशा-निर्देशों का पालन करते हुए समयबद्ध ढंग से योजना को क्रियान्वित करवाने का कष्ट करें।

भवदीय

Signed by
Rajesh Prakash
Date: 29-01-2025 11:16:27

(राजेश प्रकाश)
महानिदेशक मत्स्य, उ०प्र०।

पत्रांकः /नि०शा०/पी०एम०एम०एस०वाई०/2024-25 दिनांकः जनवरी 2025

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1. प्रमुख सचिव, मत्स्य, उ०प्र० शासन।
2. निदेशक मत्स्य, उ०प्र०।
3. प्रबंध निदेशक, उ०प्र० मत्स्य जीवी सहकारी संघ लि०।
4. मुख्य महाप्रबंधक, मत्स्य विकास निगम लि०,उ०प्र०।
5. नोडल अधिकारी, प्रधानमंत्री मत्स्य सम्पदा योजना, मत्स्य निदेशालय, उ०प्र०।
6. वित्त एवं लेखधिकारी, मत्स्य निदेशालय, उ०प्र०।

P.T.O.

7. आहरण एवं वितरण अधिकारी, मत्स्य निदेशालय, उ०प्र०।
8. निजी सचिव माननीय मंत्री मत्स्य उत्तर प्रदेश को माननीय मंत्री जी के सूचनार्थ|

प्रेषक,

महानिदेशक मत्स्य
उत्तर प्रदेश।

सेवा में,

1. समस्त जिलाधिकारी, उ०प्र०।

2. समस्त मुख्य विकास अधिकारी, उ०प्र०।

3. समस्त मंडलीय उपनिदेशक मत्स्य, उ०प्र०।

4. समस्त सहायक निदेशक मत्स्य/ मुख्य कार्यकारी अधिकारी, मत्स्य पालक विकास अभिकरण, उ०प्र०।

पत्रांकः /नि०शा०/पी०एम०एम०एस०वाई०/2024-25 दिनांकः जनवरी 2025

विषयः प्रधानमंत्री मत्स्य सम्पदा योजनान्तर्गत वित्तीय वर्ष **2024-25** हेतु लाभार्थी चयन के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषय में जैसा कि आप अवगत ही होंगे कि भारत सरकार द्वारा मत्स्य उत्पादन एवं उत्पादकता को बढ़ाये जाने हेतु वित्तीय वर्ष 2020-21 से प्रधानमंत्री मत्स्य सम्पदा योजना क्रियान्वित है।

2- उक्त महत्वपूर्ण योजना के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2024-25 हेतु 23 परियोजनाओं (अनुलग्नक-01), जिस पर प्रमाणन हेतु निदेशालय के सम्बंधित प्रभारी सहायक निदेशक, उप निदेशक नियोजन एवं निदेशक के हस्ताक्षर हैं, के अंतर्गत लाभार्थी का चयन किया जाना है, जिसके लिए सर्वसम्बन्धित से आवेदन पत्र मांगते हुए अग्रिम कार्यवाही की जानी है।

3- प्रश्नगत योजना के क्रियान्वयन हेतु समय- समय पर दिशा-निर्देश जारी किये जाते रहे है, जिनकी प्रतियाँ आप सभी को पूर्व में प्रेषित की जा चुकी हैं। इसके अतिरिक्त इस सम्बन्ध में अद्यतन रूप से जारी शासनादेश संख्या 129/सत्रह-म-2025-17-1099/2021 दिनांक 23 जनवरी, 2025 (अनुलग्नक-02) की प्रति आप सभी को अनुपालानार्थ प्रेषित की जा रही है।

4- मा० मंत्री, मत्स्य, एवं प्रमुख सचिव मत्स्य उत्तर प्रदेश शासन द्वारा दिनांक 28-01-2025 को इस सम्बन्ध में आयोजित संगोष्ठी के माध्यम से घोषणा की गयी कि प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2024-25 में लाभार्थी चयन हेतु विभागीय पोर्टल पर दिनांक 01-02-25 से 15-02-25 तक ऑनलाइन आवेदन पत्र आमंत्रित किए जायेंगे।

5- उपरोक्त के आलोक में आप सभी से अनुरोध है कि आप कृपया अपने स्तर से व्यापक प्रचार प्रसार कराते हुए और इस हेतु निर्धारित दिशा-निर्देशों का पालन करते हुए समयबद्ध ढंग से योजना को क्रियान्वित करवाने का कष्ट करें।

भवदीय

Signed by
Rajesh Prakash
Date: 29-01-2025 11:16:27

(राजेश प्रकाश)
महानिदेशक मत्स्य, उ०प्र०।

पत्रांकः 185 /नि०शा०/पी०एम०एम०एस०वाई०/2024-25 दिनांकः 29 जनवरी 2025

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1. प्रमुख सचिव, मत्स्य, उ०प्र० शासन ।
2. निदेशक मत्स्य, उ०प्र०।
3. प्रबंध निदेशक, उ०प्र० मत्स्य जीवी सहकारी संघ लि०।
4. मुख्य महाप्रबंधक, मत्स्य विकास निगम लि०,उ०प्र०।
5. नोडल अधिकारी, प्रधानमंत्री मत्स्य सम्पदा योजना, मत्स्य निदेशालय, उ०प्र०।
6. वित्त एवं लेखधिकारी, मत्स्य निदेशालय, उ०प्र०।

P.T.O.

7. आहरण एवं वितरण अधिकारी, मत्स्य निदेशालय, उ०प्र०।
8. निजी सचिव माननीय मंत्री मत्स्य उत्तर प्रदेश को माननीय मंत्री जी के सूचनार्थ|

संख्या-129 /सत्रह-म-2025-17-1099/19/2021

प्रेषक,

के0 रविन्द्र नायक,
प्रमुख सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

महानिदेशक मत्स्य,
उ0प्र0लखनऊ।

मत्स्य उत्पादन अनुभाग लखनऊः दिनांकः 23 जनवरी, 2025

विषय- प्रधानमंत्री मत्स्य सम्पदा योजना की गाइड लाइन्स के संशोधन के सम्बंध में

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-584/नि0शा0/ प्र0म0म0स0यो0/ 2024-25 दिनांक 06.12.2024 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके माध्यम से प्रधानमंत्री मत्स्य सम्पदा योजना के संचालन हेतु निर्गत गाइड लाइन्स सम्बंधी शासनादेश संख्या- 31/2020/1047/सत्रह-म-2020-6-9(3)/2020 दिनांक 09.09.2020 में संशोधन किये जाने का अनुरोध किया गया है।

2- इस सम्बंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कृपया उक्त शासनादेश दिनांक 09-09-2020 द्वारा निर्धारित व्यवस्था के अनुसार ही विगत वर्षों की भाँति प्रधानमंत्री मत्स्य सम्पदा योजना के लाभार्थी चयन की कार्यवाही सम्पन्न कराये जाने के सम्बंध में आवश्यक कार्यवाही करने का कष्ट करें।

भवदीय

Signed by
"RAVINDER NAIK KHATRAVATH"
Date: 23-01-2025 12:29:11

(के0 रविन्द्र नायक)
प्रमुख सचिव।

Scanned with OKEN Scanner

प्रधानमंत्री मत्स्य सम्पदा योजनान्तर्गत वित्तीय वर्ष 2024-25 में निम्नलिखित परियोजनाओं में प्रदेश के प्रस्तावित लक्ष्यों के अनुसार आनलाइन आवेदन हेतु पोर्टल खोला जाना है।

क्र० सं०	परियोजना का नाम	लक्ष्य			
		वर्ग			
		सामान्य	महिला	अनुसूचित वर्ग	योग
1	निजी भूमि पर तालाब निर्माण मत्स्य पालन (हे०)	60	100	40	200.00
2	प्रथम वर्ष निवेश (मीठा जल) (हे०)	60	100	40	200.00
3	निजी भूमि पर तालाब निर्माण (खारा जल) (हे०)	8	14	3	25.00
4	निजी भूमि पर प्रथम वर्ष निवेश खारा जल/ब्रेकिस वाटर (हे०)	8	14	3	25.00
5	रियरिंग यूनिट तालाब निर्माण (हे०)	40	90	20	150.00
6	बायोफ्लाक पाण्ड निर्माण सर्वधन प्रथम वर्ष निवेश सहित (सं०)	25	60	15	100
7	मत्स्य बीज हैचरी निर्माण(सं०)	3	6	1	10
8	इंसुलेटेड वैन (सं०)	1	7	2	10
9	जिंदा मछली विक्रय केन्द्र(सं०)	10	25	5	40
10	कियोस्क निर्माण/सजावटी मछली कियोस्क (सं०)	13	14	3	30
11	मोबाइल लैब/क्लीनिक (सं०)	1	1	0	2
12	मनोरंजन मात्स्यिकी (सं०)	0	1	1	2
13	मत्स्य सेवा केंद्र संख्या (सं०)	6	8	2	16
14	बैकयार्ड ऑर्नामेंटल फिश रिअरिंग यूनिट (सं०)	3	5	2	10
15	जलाशय में फिंगरलिंग संचय (प्रति फिंगरलिंग) (सं० लाख में)	5000	1000	500	6500
16	मछली पकड़ने के प्रतिबंध/दुर्बल अवधि के दौरान मत्स्य पालन संसाधनों के संरक्षण के लिए पिछड़े हुए सक्रिय पारंपरिक मछुआरों के परिवारों के लिए आजीविका और पोषण संबंधी सहायता (सं०)	500	300	200	1000
17	मोटरसाइकिल विद आइस बॉक्स (सं०)	11	63	2	76
18	वृहद आर०ए०एस०(सं०)	2	5	1	8
19	मध्याकार फ़ीड मिल (सं०)	4	0	1	5
20	वृहद फ़ीड मिल (सं०)	2	0	1	3
21	पेन कल्चर (सं०)	18	0.6	1	19.6
22	ब्रूड बैंक (सं०)	0	1	0	1
23	केज कल्चर (सं०)	44	36	12	92

नोट- 1 क्रम संख्या 01 से 16 तक परियोजना में लक्ष्य भारत सरकार से वित्तीय वर्ष 2024-25 में प्राप्त प्रशासनिक अनुमोदन के आधार पर हैं।

2. क्रम संख्या 17 से 23 तक की परियोजनाओ में लक्ष्यों का निर्धारण जनपदों से प्राप्त डी०एल०सी० से बैकआउट रिपोर्ट के अधीन होगा।

AdS.O.
कुमार त्रिपाठी)
मत्स्य निरीक्षक
योजन शाखा
निदेशालय, उ०प्र०

AdSO.
(MOHD. FIROZ KHAN)
Ad SO.

ADF(W)
(पूजा गौतम)
सहायक निदेशक मत्स्य (...)

(एजाज़ अहमद नकवी)
उप निदेशक मत्स्य (नियोजन)

निदेशक मत्स्य, उ०प्र०